श दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
4-4-18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित को दौहराते हुये प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण खारिज किये किये का निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने दादा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण मूल वाद में दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर किया जाना हैं परन्तु प्रार्थीगण के हितों को सुरक्षित रखते हुये वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के हिस्से तक वादग्रस्त भूमि बाबत स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है चूंकि पूर्व में दिनांक 30.11.2017 को प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर प्रार्थना–पत्र की दफा 3 में वर्णित समस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश संशोधित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हिस्सा 1/5 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा तक कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 यथास्थिति बनाये रखे तथा शेष कृषि भूमि के सम्बन्ध में जारी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 4-4-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.17 13:24:11 IST
Reason: SelfAttested